



पुलिस कमिशनरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 09 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक—15.11.2023

दिनांक 14/15.11.2023 को रात्रि थाना अलीगंज 06, हुसैनगंज 01, ठाकुरगंज 02 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना गाजीपुर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

डी0सी0पी0 पश्चिमी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना मलिहाबाद—दिनांक 15.11.2023 को एस0आई0 श्री गौरी शंकर यादव थाना मलिहाबाद द्वारा दौराने गस्त मय हमराही फोर्स के अभियुक्त 01.शिवा पुत्र छुट्टक्के नि0 सहिलामऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ 02. केशव पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र कश्यप नि0 सहिलामऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ 03.अरुण त्रिवेदी पुत्र फूलचन्द्र त्रिवेदी नि0 अटारी माल जनपद लखनऊ 04. अजीत पुत्र बंशीलाल नि0ग्राम सहिलामऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ 05.आकाश पुत्र विद्याधर नि0 ग्राम सहिलामऊ थाना मलिहाबाद लखनऊ 06.राकेश कश्यप पुत्र स्व0 प्रेमचन्द्र नि0 सहिलामऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ 07.राहुल पुत्र विद्याधर नि0 ग्राम सहिलामऊ थाना मलिहाबाद लखनऊ 08.शैलेन्द्र यादव पुत्र राम कुमार यादव नि0 ग्राम सहिलामऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ 09.विशाल पुत्र अशोक कश्यप नि0 ग्राम सहिलामऊ थाना मलिहाबाद लखनऊ को आपस में रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान ग्राम सहिलामऊ पुलिया के पश्चिम बाग में थाना मलिहाबाद लखनऊ गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे सक 52 अदद ताश के पत्ते, मालफड़ में 3,200/-रूपये जामातलाशी में 3,600/-रूपये नगद बरामद कर थाना मलिहाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना सरोजनीनगर—दिनांक 15.11.2023 को थाना सरोजनीनगर द्वारा बताया गया कि वादी श्री रवि प्रजापति पुत्र हरिश्चन्द्र प्रजापति निवासी—शान्तिनगर थाना सरोजनीनगर लखनऊ ने थाना सरोजनीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 13.11.2023 को समय करीब 09.30 बजे रात्रि वादी का भाई सोनू प्रजापति अपनी कार को रास्ते में साइड कर ही रहा था कि इतने में पास रहने वाले संजीत यादव व उनकी पत्नी पता नहीं किस कारण से नाराज थी जिस कारण उक्त दोनों लोगों ने लाठी डण्डों के साथ मारपीट करने आ गयी और वादी के भाई सोनू व अकेला पाकर वादी के भाई को लोहे की राड से बुरी तरह से पीट पीट कर अधमरा कर डाला। संजीत व उनकी पत्नी ने नगरवासियों द्वारा खरीदे रास्ते पर गाड़ी खड़ा करने को लेकर वादी का भाई को बुरी तरह से मारा जिससे वादी का भाई खून से लथपथ बेहोश हो गया। मोहल्ले वालों ने किसी तरह से बीच बचाव करके वादी के भाई को बचाया। वादी के भाई के सिर

थाना मड़ियांव—दिनांक 15.11.2023 को थाना मड़ियांव द्वारा बताया गया कि वादी श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री जनार्दन सिंह निवासी—गौरभीट थाना मड़ियांव लखनऊ ने थाना मड़ियांव पर सूचना दिया कि दिनांक 12.11.2023 को वादी अपने परिवार सहित अपने निवास ग्राम टकैल पोस्ट करसेवरा थाना लहरपुर जनपद सीतापुर गया हुआ था। दिनांक 14.11.2023 को वादी पड़ोसी द्वारा मोबाइल फोन से बताया गया कि वादी के लखनऊ स्थित घर का ताला टूटा हुआ है। इस सूचना पर वादी अपने उक्त घर पर वापस आया तो देखा कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। घर में रखी आलमारी से सोने चांदी के कीमती जेवरात को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादी के पड़ोसी के यहां लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि 03 अज्ञात व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। **इस सूचना पर थाना मड़ियांव पर मु0अ0सं0 629/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही क** जा रही है।

थाना गोसाईगंज—दिनांक 15.11.2023 को थाना गोसाईगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री रंजीत पुत्र जगत नारायण निवासी रतियामऊ थाना गोसाईगंज लखनऊ ने थाना गोसाईगंज पर सूचना दिया कि आज दिनांक 15.11.2023 को समय करीब सुबह करीब 9.30 बजे वादी अपनी बाइक कटिंग की दुकान पर बाल काट रहा था कि तभी गांव के विपक्षी मुलायम पुत्र बेचालाल, दीपक पुत्र फूलचन्द्र एवं चन्दन पुत्र फूलचन्द्र यादव लाठी डण्डा बांका व कुल्हाड़ी लेकर वादी के दुकान पर पहुंचे। वादी उन सबको देखकर भयभीत हो गया। देखते ही देखते उक्त विपक्षीगणों ने वादी पर जानलेवा हमला कर दिया। उक्त विपक्षियों के हमले में वादी के सिर पर कुल्हाड़ी पड़ने के बाद वादी जमीन पर गिर गया। उसके बाद उक्त दबंगों ने वादी को लात घुसो से पीटते हुए मार बहन की गालियाँ दी। तभी चन्दन उपरोक्त ने कहा की इसे जान से मार दो लेकिन शोरगुल सुनकर वादी की दुकान में रखे लगभग 750/-रुपये लेकर सभी भाग निकले। राहगीरों की मदद से वादी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोसाईगंज लाया गया। वादी का इलाज जारी है। वादी को गंभीर चोटें आयी हैं। **इस सूचना पर थाना गोसाईगंज पर मु0अ0सं0 524/2023 धारा 323/504/506/352/379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही क** जा रही है।

